214

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0 3600-I/16

भगवानदास तनय सुखसिंह यादव,

निबासी– ग्राम देवपुर , तह0 खरगापुर , जिला टीकमगढ़ म प्र0

................आवेदक

17/10/16

वनाम

17-10-16

282 17-10-16

1– रघुवीर तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

2– रघुनाथ तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

3– रामरतन तनय गुंठे उर्फ गोबिंद यादव ,

निबासी – ग्राम देवपुर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.... अनावेदकगण

17/10/16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 03/अपील/2015–16 एवं 16/अपील/2015–16 में पारित सुयंक्त आलोच्य आदेश दिनांक 22/09/2016 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अपीलांट भगवानदास एवं रिस्पॉ0 गण के पिता गुंठे उर्फ गोबिंद यादव आपस में सगे भाई थे। इसके अलावा अन्य तीन भाई और थे। सभी भाईयों की शामिल शरीक संपत्ति ग्राम देवपुर एवं गुना में स्थित थी, जिसका कुल रकवा करीब 20 हैक्टेयर था, अपीलांट के नाम से काई भूमि नहीं थी, इस कारण आपसी बंटवारे में गंठु के नाम की भूमि खसरा नंबर 383 रकवा 6.50 एकड़ अर्थात 2.569 हैक्टेयर अपीलांट को गुंठे द्वारा अपने ही जीवनकाल में दे दी थी। जिसके संबंध में एक शपथपत्र/सहमतिपत्र भी दिनांक 30/04/2010 को लेख किया गया था। जिसके आधार पर दोनों भाईयों की सहमति से उपरोक्त भूमि ग्राम देवपुर की नामांतरण पंजी कमांक 03 दिनांक 01/07/2011 पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/07/2011

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

9425451002

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3600/I/2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **भगवानदास वनाम रघुवीर व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.12.16	1– मैंनें प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 03/अपील/2015–16 एवं 16/अपील/2015–16 में पारित सयुंक्त आदेश दिनांक 22/09/2016 से परिवेदित होकर की है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। अनावेदकगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के सूचनापत्र जारी किये गये। उनके द्वारा अपने तर्कों में बतलाया गया है कि, अपीलांट भगवानदास एवं रिस्पॉडेंटगण के पिता गुंठे उर्फ गोबिंद यादव आपस में सगे भाई थे। इसके अलावा अन्य तीन भाई और थे। सभी भाईयों की शामिल शरीक संपत्ति ग्राम देवपुर एवं गुना में स्थित थी, अपीलांट के नाम से काई भूमि नहीं थी, इस कारण आपसी बंटवारे में गुंठे के नाम की भूमि खसरा नंबर 383 रकवा 6.50 एकड़ अर्थात 2.569 हैक्टेयर अपीलांट को गुंठे द्वारा अपने ही जीवनकाल में दे दी थी। जिसके संबंध में एक शपथपत्र/सहमतिपत्र भी दिनांक 30/04/2010 को लेख किया गया था। जिसके आधार पर दोंनों भाईयों की सहमति से उपरोक्त भूमि ग्राम देवपुर की संशोधन पंजी कमांक 03 दिनांक 01/07/2011 पर तहसीलदार खरगापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/07/2011 के द्वारा अपीलांट का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त वादभूमि का नामांतरण रिस्पाडेंट गण द्वारा गुंठे के फौत होने के उपरांत नामांतरण पंजी कमांक 06 आदेश दिनांक 15/10/2011 के द्वारा अपने नाम कराने का आदेश पारित करवा लिया, तदुपरांत एक आवेदनपत्र	

संहिता की धारा 115–116 का तहसीलदार खरगापुर के समक्ष कि वाद भूमि खसरा नंबर 383/1 भगवानदास के नाम पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज की गई है, जिसे तहसीलदार द्वारा प्र0क0 04/अ6अ/2014–15 पर दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 13/10/2015 के द्वारा आवेदनपत्र निरस्त कर दिया, कि उपरोक्त वादभूमि पर अपीलांट का नाम संशोधन पंजी कमांक 03 दिनांक 23/07/2011 के आधार पर दर्ज हुआ है , एक बार आदेश हो जाने के उपरांत पुनः आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर एक अपील रिस्पॉ0 गण द्वारा अनुबिभागीय अधिकारी वल्देवगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्र0क0 03/अपील/2015–16 पर दर्ज की गई। एक और अपील रिस्पॉ0 गण द्वारा ही संशोधन पंजी कमांक 03 से परिवेदित होकर प्रस्तुत करने पर उसे प्र0क0 16/अपील/2015–16 पर दर्ज करके दोंनों में पारित सुयंक्त आदेश दिनांक 22/09/2016 के द्वारा तहसीलदार का प्र0क0 04/अ6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2015 को निरस्त करने के साथ ही साथ अपील क0 16/अपील/2015–16 भी स्वीकार करके संशोधन पंजी कमांक 03 को भी निरस्त कर दिया गया। जिससे बिरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी द्वारा अपनी निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन किया गया। उपरोक्त वादभूमि गुंठे उर्फ गोबिद द्वारा पारिवारिक बंटवारे में अपीलांट को प्रदान की गई थी। जिसको संशोधन पंजी कमांक 03 पर पारित आदेश दिनांक 23/07/2011 के द्वारा अपीलार्थी का नाम पारिवारिक बंटवारे के आधार पर दर्ज किया गया था। उपरोक्त संशोधन पंजी कमांक 03 पर गोबिंद उर्फ गुंठे यादव की अंगूठा निशानी लगी है, तथा अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर अंगूठा हैं । उपरोक्त संशोधन पंजी सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है, सहमति के आधार पर पारित किया गया आदेश अपील योग्य नहीं होता है। गोबिंद द्वारा अपने जीबनकाल में उपरोक्त नामांतरण पर आपत्ति नहीं की है। वादभूमि पर स्वत्व का बिबाद था। दोंनों पक्ष वादभूमि पर अपना अपना स्वत्व बतला रहे थे। स्वत्व का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है, जिसे निराकरण कराने वावद संहिता की धारा 178 में

प्रावधानित तीन माह का समय प्रदान करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त पंजी पर पारित आदेश किसा प्रकार से विधि सम्मत नहीं माना स्पष्ट नहीं किया है, प्रश्नाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जातती है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22/09/2016 निरस्त किया जाकर विवादित संशोधन पंजी कमांक 03 पर पारित आदेश दिनांक 23/07/2011 वहाल किया जाता है। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके राजस्व मंडल का यह प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य